

सम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज


नम्बर
अहका
हुकम
में

की अनुमति रहने के साथ ही दस्तावेज को हटाने की
प्रक्रिया की जाएगी, प्रकृत में इलहास अदालत की संज्ञा
है, जिसकी अवधि को अधीन प्रति कासा होगी।

अतः अख्यार निषेधाज्ञा के तीनों कायक अवधि
के पत्र में ही लिखा उपरोक्त विवेक के आधार
पर अवधि का प्रकीर्ण-पर अधिका का स्विकृत
कर आलाल बरा पूर्व में डिग्रे 19/01/2023 को
जारी अख्यार निषेधाज्ञा को मूल काड में किमि
तक कर्म किया जाता है। अतः निषेधाज्ञा विवादि
अभि पर पहले से लिए गये अदल की प्रकृता कर
अदल प्रकृत-पर अंक से प्रया कान पर प्रभावी
ही होगी।

निर्दिष्ट त्रै वारा आल डिग्रे 18/01/2023 को
लिखा जा कर मुले आलाल में सुनाया गया।
परावली प्रेडली में सुमर हो कर मूल काड तेलक

रध


उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर